उत्तर प्रदेश सरकार
कार्मिक अनुभाग-2

संख्या 20/4/2002-का-2/2007
लखनऊ दि०-18 अगस्त, 2007

अधिसूचना
प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 2002 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश(उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया(द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2007

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश(उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया(द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2007 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम-5(4)(क) का प्रतिस्थापन

2- उत्तर प्रदेश(उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 2002 में नियम-5 में उपनियम-4 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान खण्ड(क) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात् नियम-5(4)(क) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(क) उपनियम(3) के खण्ड(क),(ख),(ग) और (घ) के अधीन मूल्यांकनों के परिणाम प्राप्त हो जाने, और सारणीबद्ध कर लिए जाने के पश्चात् चयन समिति नियम-4 में निर्दिष्ट आरक्षण के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए साक्षात्कार करेगी। रिक्तियों की संख्या के विरुद्ध साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या उतनी होगी जितनी चयन समिति द्वारा उचित समझी जाए किन्तु किसी मामले में एक रिक्ति के लिए 10 अभ्यर्थियों से अधिक न होगी। किसी पद पर	(क) उपनियम(3) के खण्ड(क),(ख),(ग) और (घ) के अधीन मूल्यांकनों के परिणाम प्राप्त हो जाने, और सारणीबद्ध कर लिए जाने के पश्चात् चयन समिति नियम-4 में निर्दिष्ट आरक्षण के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए साक्षात्कार करेगी। रिक्तियों की संख्या के विरुद्ध साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या उतनी होगी जितनी चयन समिति द्वारा उचित समझी जाए। किसी पद पर जिसके लिए टंकण या आशुलिपि और टंकण अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित हो,

जिसके लिए टंकण या आशुलिपि और टंकण अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित हो, चयन किए जाने वाले अभ्यर्थियों की दशा में, केवल ऐसे अभ्यर्थियों को जो उपनियम-3 के खण्ड(घ) के अधीन यथास्थिति टंकण परीक्षा या आशुलिपि और टंकण परीक्षा में सफल हो गये हों, साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा।	चयन किए जाने वाले अभ्यर्थियों की दशा में, केवल ऐसे अभ्यर्थियों को जो उपनियम-3 के खण्ड(घ) के अधीन यथास्थिति टंकण परीक्षा या आशुलिपि और टंकण परीक्षा में सफल हो गये हों, साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा।

आज्ञा से,

1/8/07

(जे०एस०दीपक)

प्रमुख सचिव।